

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती है कि वे धारक को बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रूप से आने-जाने दें और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE TO WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से
BY ORDER OF
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA



Peeyush

पीयूष वर्मा
PEEYUSH VERMA
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी
Regional Passport Officer
पासपोर्ट कार्यालय, लखनऊ
Passport Office, Lucknow



भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA



सत्यमेव जयते

पासपोर्ट
PASSPORT

ये पासपोर्ट 36 पृष्ठों में है। This Passport contains 36 pages.



U9597426

पिता / कानूनी अभिभावक का नाम / Name of Father / Legal Guardian

VIJAY KUMAR SRIVASTAVA

माता का नाम / Name of Mother

ANUPMA SRIVASTAVA

पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse



पता / Address

CIVIL COURT COMPOUND

HOUSE NO IV/08, BARABANKI

PIN: 225001, UTTAR PRADESH, INDIA

पुराने पासपोर्ट का नं. और उसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue

J8225719 12/07/2011 LUCKNOW

फाइल नं. / File No.

LK3075711963221

09597408

09597408

पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिशन/पोस्ट में अपना पंजीकरण करावें।

घोषावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट प्राधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की भीम भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट इसके द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही रहना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट भ्रम हो जाने, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में निवासीय पासपोर्ट प्राधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निवासीय भारतीय मिशन/पोस्ट और स्थानीय पुलिस को तत्काल दे जानी चाहिए। विस्तृत सूचनाओं के लिए बुकलेट पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORIZED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR WILFULLY IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.